

पक्षकार द्वारा निर्धारित दर से अधिक मुद्रांक कर जमा कराने की स्थिति में रिफण्ड हेतु चैक लिस्ट

(उप पंजीयक कार्यालय स्तर से की जाने वाली पूर्ति)

1. वृत्त कार्यालय का नाम : उपमहानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, हनुमानगढ़
2. उप पंजीयक कार्यालय का नाम : .....
3. रिफण्ड प्रकरण का विवरण
  1. आवेदन कर्ता का नाम : .....
  2. आवेदक का पता : .....
  3. राजस्व प्रतिदाय की राशि : .....
  4. रिफण्ड चाहने का कारण : .....
4. रिफण्ड राशि की गणना का विवरण
  1. दस्तावेज संख्या/दिनांक : .....
  2. उप पंजीयक द्वारा निर्धारित मालियती : .....
  3. देय स्टाम्प शुल्क की दर एवं राशि : .....
  4. निष्पादन के समय प्रस्तुत स्टाम्प पेपर के रूप में जमा शुल्क : .....
  5. नगद के रूप में जमा स्टाम्प शुल्क : .....
  6. कुल जमा राशि (बिन्दु संख्या 4 व 5) : .....
  7. दस्तावेज पर स्टाम्प शुल्क जो लिया जाना था : .....
  8. रिफण्ड योग्य राशि (6 व 7) : .....
  9. जमा राशि की रसीद / दिनांक का विवरण : .....
  10. नियम/अधिसूचना/छूट/अन्य कारण का विवरण  
जिसके तहत राशि रिफण्ड योग्य है (नियम / अधिसूचना/छूट की प्रति प्रस्तुत कराई जावे।) : .....
  11. अधिक मुद्रांक वसूल किये जाने का कारण : .....
  12. अधिक जमा हेतु उत्तरदायी कर्मचारी/  
अधिकारी का विवरण : .....
5. रिफण्ड प्रकरण के साथ प्रस्तुत कराए गये दस्तावेजों का विवरण (सलंगन किए गए दस्तावेजों में (✓)चिन्ह लगाएँ)
  1. आवेदक का प्रार्थना पत्र

2. 20/- रूपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर आवेदक का शपथ पत्र।

नोट: (शपथ पत्र में यह अवश्य अंकित हो कि प्रार्थी द्वारा मांग का भुगतान पूर्व में नहीं लिया गया है, यदि भविष्य में भुगतान किया हुआ पाया गया तो राशि राजकोष में जमा कराने के लिए प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा)

3. पंजीबद्ध दस्तावेज की प्रमाणित प्रति : .....

4. जमा कराई गई राशि की मूल रसीद : .....

5. जमा राशि के सत्यापन के क्रम में उप पंजीयक का प्रमाण पत्र निम्नलिखित में संलग्न किया जावे—

प्रमाणित किया जाता है कि श्री.....ने दिनांक.....को जरिए रसीद संख्या.....

...../.....द्वारा राशि रूपये.....अखरे रूपये.....

.....इस कार्यालय में जमा कराएँ है। जिसका पुस्तक संख्या.....के पृष्ठ संख्या.....दिनांक.....

पर इन्द्राज किया जाकर इस कार्यालय के चालान संख्या.....एवं दिनांक.....के द्वारा जमा कराई है।

जिसका कोष वाउचर संख्या.....एवं दिनांक.....है।

6. उप पंजीयक कार्यालय की रिफण्ड हेतु कारण

सहित टिप्पणी : .....

नोट: यदि राजस्व रिफण्ड की राशि 50000/- रूपये से अधिक हो तो वांछित पत्रों की एक अतिरिक्त सत्यापित प्रति भिजवाएँ।

उप पंजीयक

.....

वृत्त कार्यालय स्तर पर रिफण्ड प्रकरण की जांच का विवरण

उप महानिरीक्षक की नियमों के परिप्रेक्ष में प्रकरण पर पूर्ण औचित्य सहित टिप्पणी

.....

.....

.....

.....

.....

.....

उप महानिरीक्षक  
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग  
हनुमानगढ़-वृत्त